रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122024-259623
CG-DL-E-26122024-259623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5119] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2024/पौष 2, 1946
No. 5119] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2024/PAUSA 2, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5534(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 436 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 436 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड

(xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 436 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मॉनीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मॉनीटरी के लिए एक मॉनीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(क)	उपायुक्त, कुरूक्षेत्र	अध्यक्ष, पदेन;
(ख)	अतिरिक्त उपायुक्त, कुरूक्षेत्र	सदस्य, पदेन;
(ग)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(घ)	क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(ङ)	जिला नगर योजनाकार, कुरूक्षेत्र	सदस्य, पदेन;
(च)	पारिस्थितिक या पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ हरियाणा सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट	सदस्य;
(छ)	प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी, पंचकुला	सदस्य, पदेन;
(ज)	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य, पदेन;
(झ)	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कुरूक्षेत्र	सदस्य सचिव, पदेन।

(2) मॉनीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो पैर 4 के अधीन दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के सिवाय भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हैं, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पास निर्दिष्ट किए गये हैं।

(3) ऐसे क्रियाकलापों, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006, में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 की सारणी के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की संवीक्षा मॉनीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो उपबंधों का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन उल्लंघन करता है, शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) मॉनीटरी समिति, मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।